प्रेस नोट

थाना गजरौला पुलिस द्वारा लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी व जालसाजी करने वाले गैंग के गैंग सदस्य धर्मेन्द्र सिंह उर्फ तन्ने पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम पकड़िया-नौगवा, थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत द्वारा लूट/नकबजनी आदि अपराध कर अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति एक किता आवासीय भवन कीमत 35 लाख 91 हजार 198 रूपये को कुर्क किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुख्यात अपराधियों द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण के संबंध मे चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत शासन की मंशा के अनुरूप श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के आदेशानुसार एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गैंग बनाकर लूट/नकबजनी/चोरी आदि अपराध में गैंग सदस्य धर्मेन्द्र सिंह उर्फ तन्ने पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम पकड़िया नौगवा, थाना सुनगढ़ी, जनपद पीलीभीत के विरुद्ध विवेचक प्रभारी निरीक्षक गजरौला आशुतोष रघुवंशी के द्वारा अवैध अचल संपत्ति के बारे में जानकारी कर रिपोर्ट अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाकर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के न्यायालय प्रेषित की गई, जिस पर न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के वाद संख्या 1334/2022 सरकार बनाम धर्मेन्द्र सिंह उर्फ तन्ने अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में श्रीमान पुलकित खरे, जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लोगो से लूट/नकबजनी/चोरी आदि अपराध कर धन अर्जित करने वाले गैंग के गैंग सदस्य धर्मेन्द्र सिंह उर्फ तन्ने पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम पकड़िया नौगवा, थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत द्वारा लूट/नकबजनी/चोरी आदि अपराध कर एक आवासीय भवन जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख 91 हजार 198 रूपये को कुर्क करने के आदेश दिनांकित 25.07.2022 के अनुपालन में श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय की मौजूदगी व निर्देशन में नियमानुसार प्रभारी निरीक्षक गजरौला मय फोर्स व प्रभारी निरीक्षक थाना सुनगढी मय फोर्स के अचल संपति कुर्क कर श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर महोदय को प्रशासक नियुक्त किया गया है तथा सभी वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की गयी।

कुर्क शुदा सम्पत्ति-

1. एक आवासीय भवन कीमत- 35 लाख 91 हजार 198 रूपये

आपराधिक इतिहास अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह उर्फ तन्ने -

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	309/21	399/402/307 भादवि	सुनगढी
2.	311/21	3/25 आर्मस एक्ट	सुनगढी
3.	577/21	395/412 भादवि	पूरनपुर
4.	254/21	395/397/412 भादवि	जहानाबाद
5.	168/21	395 भादवि	हैदराबाद जिला खीरी
6.	468/21	395/342/427 भादवि	हैदराबाद जिला खीरी
7.	16/22	2/3 गैंगस्टर एक्ट	सुनगढ़ी